//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 10/2020

उनवान

रामस्वरूप पुत्र विजयकरण जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री रविन्द्र शर्मा

बनाम

1. विजयकरण पुत्र काना
2. फूला पुत्र कालू
3. अमराव पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद
4. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
2 व 3 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत,
4 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 5.8.25

प्रार्थी ने जरियें अधिवक्ता उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिहारी में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
1071/992	4051	0.30
	4052	0.01
	4053	0.05
	4055	2.28
	4055/6620	0.64
	4056	1.00
	4056/6619	0.65
	4057	1.00
	4058	2.20
	4058/6618	0.55
	4059	2.70
	4060/6616	[illegible]
	4082	[illegible]
	6231	[illegible]
	6235	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उपरोक्त आराजी प्रार्थी के दादा नारायण पुत्र इन्द्रा के नाम खातेदारी थी। **पुश्तैनी भूमि होने** के कारण अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त आराजी हस्तांतरण करने का कोई हक व अधिकार नही है। आराजी मुतनाजा पर पुश्तेनी आधार पर प्रार्थी का हक व अधिकार निहित है। राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा प्रार्थी के नाम नही होने के कारण अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण की खातेदार की है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि में अप्रार्थीगण के हिस्से को हडपने के लिये पूर्व में अपने पिता विजयकरण पुत्र नारायण के नाम से प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के साथ दुर्भी संधि करते हुये पुनः उसी दावाकृत भूमि का प्रार्थना पत्र पेश किया है। एक ही भूमि के सम्बन्ध में पिता पुत्र द्वारा अलग–अलग कार्यवाही करते हुये स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 विजयकरण द्वारा अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 04.06.19 को प्रस्तुत कर प्रकरण संख्या 39/2019 में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिस पर स्थगन आदेश को स्थगित कर दिया गया तथा राजस्व मण्डल न्यायालय में प्रार्थी के पिता विजयकरणद्वारा रिविजन प्रस्तुत की गयी जो निरस्त की गयी। प्रार्थी द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को छुपाते हुये न्यायालय से पुनः स्थगन आदेश प्राप्त किया है। उक्त स्थगन एकतरफा रूप से जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 रिकार्डेड खातेदार है, प्रार्थी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः आवेदन पत्र सव्यय खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब नही पेश कर साधी बहस करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार आराजी मुतनाजा संवत 2069 से 2072 की जमाबंदी में प्रार्थी के दादा व अप्रार्थी संख्या 1 पिता नारायण पुत्र दूदा व अन्य व्यक्तियों की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी से स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा प्रार्थी की पुश्तेनी है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का कथन है कि पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 विजयकरण द्वारा अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 04.06.19 को प्रस्तुत कर प्रकरण संख्या 39/2019 में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिस पर स्थगन आदेश को स्थगित कर दिया गया तथा राजस्व मण्डल न्यायालय में प्रार्थी के पिता विजयकरणद्वारा रिविजन प्रस्तुत की गयी जो निरस्त की गयी। प्रार्थी द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को छुपाते हुये न्यायालय से पुनः स्थगन आदेश प्राप्त किया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पूर्व में विभाजन का वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आवेदन पेश किया है उक्त प्रकरण में प्रार्थी पक्षकार नही है। तथा प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में आराजी मुतनाजा पर पुश्तेनी हक के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का वाद पेश किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि दोनो प्रकरणों की विषय वस्तु भिन्न–भिन्न है। आराजी मुतनाजा के पुश्तेनी होने का कोई खण्डन अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा नही किया है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से पर खातेदारी चाही है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के हक व हिस्से पर प्रार्थी द्वारा कोई अधिकार नही है। राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा प्रार्थी के पिता के नाम नही होने के कारण व भूमि पुश्तैनी होने के कारण प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:40 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

साक्ष्य आदि से ही सिद्व होगे। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा प्रार्थी की की पुश्तैनी है। राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज नही है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आराजी मुतनाजा का अन्यत्र हस्तांतरण किया जाता है तो मौके पर वाद बहुलता व अपूरणीय क्षति की संभावना से भी इंकार नही किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है। ऐसी स्थिति में मूल वाद के निस्तारण तक आराजी मुतनाजा का संरक्षण आवश्यक है। शेष तथ्यो का गुणावगुण पर निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 4051, 4052, 4053, 4055, 4055/6620, 4056, 4056/6619, 4057, 4058, 4058/6618, 4059, 4060/6616, 4082, 6231 व 6235 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से तक मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। किसी प्रकार का हस्तांतरण नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:40 IST
Reason: SelfAttested